18-5-16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट मकराना में पेश हुआ
प्रकरण में डिक्री की आज्ञप्ति हो चुकी है अतः इस
पत्रावली का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है
अतः पत्रावली बैलन्स कुश्त होकर बाद तकमील
रखिल दफ्तर की जाती है पत्रावली दफ्तर से
कमहाकर बाद तकमील रखिल दफ्तर की जावे।